

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

उज्जीवन रमाल फाईनेन्स बैंक बनाम भैरु नारायण

प्रकरण संख्या 758/2023 ( धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन एक्ट )

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
18.01.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रकरण को आगे नहीं चलाने का कथन करते हुये विद्रो प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विद्रो किये जाने से प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन एक्ट-2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"><b>जिला मजिस्ट्रेट</b> (कलक्टर) जयपुर</p>	